

**प्रारूप 12**

पेंशनभोगी या कुटुंब पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर कुटुंब पेंशन को शुरू करने के लिए पति अथवा पत्नी/ सह-प्राधिकृत कुटुंब के सदस्य द्वारा पेंशन संवितरण प्राधिकारी को प्रस्तुत किए जाने के लिए आवेदन

फोटोग्राफ

1.
  - i. सरकारी कर्मचारी/ पेंशनभोगी का नाम, जिसके संबंध में कुटुंब पेंशन का दावा किया जा रहा है  
.....
  - ii. पेंशनभोगी/ कुटुंब पेंशनभोगी का नाम जिसकी मृत्यु पर कुटुंब पेंशन का दावा किया गया है  
.....
  - iii. पेंशनभोगी/ कुटुंब पेंशनभोगी की मृत्यु की तारीख .....
  - iv. पेंशनभोगी/ कुटुंब पेंशनभोगी की पीपीओ सं. ....

2. दावेदार का नाम व अन्य ब्यौरें –

| नाम | जन्मतिथि<br>(दिन/मास/वर्ष) | मृत सरकारी कर्मचारी/<br>पेंशन भोगी के साथ<br>नातेदारी | डाक पता |
|-----|----------------------------|---|---------|
|     |                            |   |         |

3. यदि दावेदार अवयस्क है या मानसिक मंदता सहित मानसिक विकार या निःशक्तता से ग्रस्त है, तो संरक्षक/ नामनिर्देशिती के ब्यौरें, जहां भी लागू हो –

| नाम | जन्मतिथि<br>(दिन/मास/वर्ष) | अवयस्क/<br>मानसिक रूप से<br>निःशक्त<br>दावेदार के साथ<br>नातेदारी | मृत सरकारी<br>कर्मचारी/<br>पेंशन भोगी<br>के साथ<br>नातेदारी | डाक पता |
|-----|----------------------------|---|---|---------|
|     |                            |   |   |         |

#### 4. बैंक खाते का ब्यौरा जिसमें कुटुंब पेंशन जमा की जानी है

|            |  |                    |  |
|------------|--|--------------------|--|
| खाता सं.   |  | बैंक का नाम व शाखा |  |
| आईएफएस कोड |  |                    |  |

मुझे पता है कि कुटुंब पेंशन की प्रत्येक मंजूरी और उसे जारी रखने की एक विवक्षित शर्त यह होगी कि दावेदार/ कुटुंब पेंशनभोगी का आचरण भविष्य में अच्छा बना रहे।

दावेदार/ संरक्षक के हस्ताक्षर या बाएँ हाथ के अंगूठे का निशान  
मोबाइल/ दूरभाष सं.  
आय कर के लिए स्थायी खाता सं (पैन)  
आधार सं. (स्वैच्छिक)

#### प्रारूप 12 के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची

1. दावेदार के दो नमूना हस्ताक्षर (पृथक शीट में प्रस्तुत किए जाएं)  
(बाएं हाथ के अंगूठे और उंगलियों के निशान वाली दो पर्चियां उस व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की जाएं जो अपने नाम पर हस्ताक्षर करने के लिए साक्षर नहीं है। यदि शारीरिक रूप से निःशक्त होने के कारण बाएं हाथ के अंगूठे और उंगलियों के निशान देने में असमर्थ है तो वह दाहिने हाथ के अंगूठे और उंगलियों के निशान दे सकता/ सकती है। जहां किसी सरकारी कर्मचारी के दोनों हाथ नहीं हैं, वह पैर की उंगली का निशान दे सकता/ सकती है।)
2. दावेदार के पासपोर्ट आकार के फोटो की दो प्रतियां।
3. पेंशन संवितरण बैंक द्वारा किए गए किसी भी अतिरिक्त संदाय को वापस करने का वचनबंध।
4. नमूना हस्ताक्षर या उस संरक्षक के मामले में जो अपने नाम पर हस्ताक्षर करने के लिए पर्याप्त साक्षर नहीं है, संरक्षक के बाएं हाथ के अंगूठे और उंगलियों के निशान।
5. संरक्षक/ नामनिर्देशिती के पासपोर्ट आकार के फोटो की दो स्व-प्रमाणित प्रतियां।
6. संरक्षक/ नामनिर्देशिती का स्व-प्रमाणित विवरण, जहां कहीं लागू हो, ऊंचाई और पहचान चिहनों का विवरण दिखाते हुए।
7. पेंशनभोगी/ पूर्व कुटुंब पेंशनभोगी के पीपीओ की प्रति (यदि हो तो उपलब्ध कराई जाए)
8. संरक्षक के स्थायी पते का प्रमाण।
9. मृत पेंशनभोगी/ पूर्व कुटुंब पेंशनभोगी की मृत्यु प्रमाणपत्र की प्रति।